

निगरानी नगरपालिका अधिनियम, 2009 प्रकरण सं0 02/2011 (RCMS No. 00011/2011) अनवानी नगरपालिका, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री प्यारेलाल, आयु लगभग 56 वर्ष, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, केसरीसिंहपुर बनाम ठाकर दास पुत्र श्री रतनलाल जाति सिन्धी निवासी वार्ड संख्या 9, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

26.08.2019



प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मोहन लाल छाबड़ा एव अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश गुप्ता उपस्थित है। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश गुप्ता द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी /15/5843 दिनांक 10.06.2016 की प्रति पेश करते हुए प्रार्थना की है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी नगरपालिका, केसरीसिंहपुर द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) के अन्तर्गत के अन्तर्गत ठाकर दास पुत्र रतनलाल को आवंटित प्लॉट संख्या 156 द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 23.01.1992, पैमायशी 25फीट गुणा 45 फीट व जमा राशि 04.01.1996 एवं लीज डीड दिनांकित 10.02.1993 के आदेश को निरस्त करवाने हेतु पेश की थी और अब चूंकि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2)) के अन्तर्गत के प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दिनांक 10.06.2016 की उक्त अधिसूचना द्वारा शक्तियां दी जा चुकी है इसलिए इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने का अब कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने के लिए लौटाई जाये। प्रार्थी के अधिवक्ता को भी उक्त अधिसूचना के अनुसार सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु लौटाने में कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी नगरपालिका, केसरीसिंहपुर ने उक्त निगरानी दिनांक 01.02.2011 को इस न्यायालय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) एवं नया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के तहत पेश की थी और अप्रार्थी ठाकर दास पुत्र रतनलाल को आवंटित प्लॉट संख्या 156 द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 23.01.1992, पैमायशी 25फीट गुणा 45 फीट व जमा राशि 04.01.1996 एवं लीज डीड दिनांकित 10.02.1993 के आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की थी। पूर्व में उक्त धारा 73(2) के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता अर्थात् जिला कलेक्टर को शक्तियां थी किन्तु राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 से ये शक्तियां प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दे दी गई है। इसलिए अब इस प्रकरण में सुनवाई एवं निस्तारण करने की अधिकारिता निम्न हस्ताक्षरकर्ता को नहीं रहती है। इसलिए उक्त प्रकरण को सक्षम ऑथोरिटी / न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी नगरपालिका, केसरीसिंहपुर बनाम ठाकर दास पुत्र रतनलाल को सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु उक्त निगरानी उसे लौटाई जाती है। इस आशय का नोट मूल निगरानी पर अंकित कर दिया जावे। नगरपालिका केसरीसिंहपुर को उनकी पत्रावली श्री ठाकर दास पुत्र श्री रतनलाल प्लॉट नं 156 रिफ्यूजी कॉलोनी, फरीदसर मय इस न्यायालय के आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर